राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

राजस्व अपील एल.आर. संख्या 2003/5534 प्रतापसिंह बनाम जगदीश प्रसाद व अन्य

निगरानी अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2020	**एकलपीठ** **श्री मोडू दान देथा, सदस्य** **उपस्थित :** **श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत अभिभाषक प्रार्थी** **श्री ओंकारलाल दवे, अभिभाषक अप्रार्थी** प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है अपीलांट ने यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू की अपील संख्या 16/2001 के निर्णय दिनांक 06.08.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार अपर कलक्टर झुन्झुनू के प्रकरण संख्या 59/2002 द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत 14(4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड एग्रीकल्चर प्रपजेज रूल्स 1970 बाबत निरस्त किये जाने भू आवंटन आदेश दिनांक 19.06.1999, 05.07.1999 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नवलगढ को अपर कलक्टर ने खारिज किया था। जिसकी अपील खारिज हुई। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों के कथनों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि यह आवंटन पेटा काश्त का आवंटन था जबकि प्रार्थना पत्र को आवंटन नियम 1970 का प्रार्थना पत्र मानकर निरस्त किया गया है। आवंटन में आवंटन नियम 1961 पेटा आवंटन की पालना नहीं की गई है 1970 के नियम एवं 1961 के नियम भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि हेतु तथा उनकी पात्रता और शर्तों में अन्तर है एवं प्राथमिकता में अन्तर है इन सबका ध्यान नहीं रखा गया यह भूमि प्रारम्भ से ही अपीलांट की खुदकाश्त खातेदारी रही है जिससे अपीलांट कभी भी बेदखल नहीं हुए है। आवंटन नुमाईशी कागजी है अतः आवंटन निरस्त किया जावे ताकि भविष्य में जटिलताऐं नहीं हो। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जो आवंटन आदेश है उसमें स्वयं में नदी पेटा शब्द तथा पांच वर्ष के लिये अंकित है अब यदि अधिकारीगण के यहां टंकण की भूल से 1970 के नियम अपर कलक्टर के यहां शीर्षक में अंकित हो गये तो वह निर्णय को दूषित नहीं करता है क्योंकि नीचे	

विवरण में यह स्पष्ट अंकित है कि आवंटन पांच वर्ष के लिये है और सही है अपीलांट खुद की नजर उस पर है। और पात्र नहीं होने तथा प्राथमिकता में नहीं होने और आवेदन नहीं करने से उसे आवंटन नहीं हुआ है आवंटन हुए अरसा हो गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट के कथनों में कोई सार नहीं है अपीलांट का इस आराजी से कब्जे काश्त के संबंध में कोई वास्ता नहीं रहा है केवल इतना वास्ता है कि इस पर इनकी नजर है और केवल नजर होना मात्र कोई विचार आना मात्र किसी अधिकार का सृजन नहीं करता है अतः इस सारहीन अपील को खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकुलाय के कथनों पर मनन किया गया।

पेटा काश्त हेतु 1961 के नियम बने हुए है और इन नियमों में आवंटन गैर खातेदारी के रूप में एक विहित अवधि तक होता है। और यह विहित अवधि पांच वर्ष है जिसे पांच वर्ष और बढाया जा सकता है किन्तु कलक्टर उचित समझे तो एक साल के लिये भी आवंटन करने का प्रावधान है। प्रस्तुत आवंटन 1999 का है और पांच वर्ष के लिये किया गया है। जो कि अवधि काफी पहले व्यतीत हो चुकी है और यदि पांच वर्ष के लिये बढाई भी गई होगी तो वह अवधि भी निकल चुकी है ऐसी स्थिति में आवंटन की अवधि कालातीत हो गई है और ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश वर्तमान में प्रभावशील नहीं माना जा सकता और अब जब उसकी अवधि समाप्त हो गई है तो शेष तथ्यों पर विचार की आवश्यकता ही नहीं है ऐसी स्थिति में हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाते है जिसके आधार पर इस द्वितीय अपील के द्वारा निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। और ऐसे तथ्य उपस्थित करने में अपीलांट विफल रहा है। परिमणामतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडू दान देथा)
सदस्य